रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27022020-216436
CG-DL-E-27022020-216436

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 812] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 27, 2020/ फाल्गुन 8, 1941
No. 812] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 27, 2020/PHALGUNA 8, 1941

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2020

का.आ. 886(अ).—प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 4 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना में दिनांक 14 जनवरी, 2020 की संख्या सा.का.नि. 30 (अ) के माध्यम से, एतदद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत: :-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 1 के लिए, निम्नलिखित पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः : -

"और जबकि, आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण को अब समाप्त करने के लिए अनुरोध किया है"।

2. इस अधिसूचना को 14 जनवरी, 2020 से प्रभावी माना जाएगा।

[सं. ए-11014/4/2019-एटी]
रश्मि चौधरी, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 14 जनवरी, 2020 की संख्या सा.का.नि. 30 (अ) जिसने टंकण त्रुटि के कारण दिनांक 26 अक्टूबर, 1989 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.928 (अ) को विखण्डित कर दिया है, के माध्यम से प्रकाशित अधिसूचना में यह उल्लेख किया गया था कि आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायलय की सहमति प्राप्त करने के पश्चात, आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण को समाप्त करने के लिए अनुरोध किया था। उक्त टंकण त्रुटि को सही करने के लिए अधिसूचना की तारीख से आवश्यक संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से किया जाना अपेक्षित है। यह प्रमाणित किया जाता है कि संशोधन अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से मूल अधिसूचना के किसी भी प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 14 जनवरी, 2020 की संख्या सा.का.नि. 30 (अ) के माध्यम से प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2020

S.O. 886(E).—In exercise of the powers conferred by sub–section (2) of section 4 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 30(E), dated the 14th January, 2020, namely:-

In the said notification, for paragraph 1, the following paragraph shall be substituted, namely:–

"And whereas, the Government of the State of Andhra Pradesh has now made a request for abolition of the Andhra Pradesh Administrative Tribunal".

2. This notification shall be deemed to have come into effect from the 14th day of January, 2020.

[No. A-11014/4/2019-AT]

RASHMI CHOWDHARY, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum

In the notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 30 (E) dated the 14th January, 2020 which have rescinded the notification number G.S.R 928 (E), dated the 26th October, 1989, due to typographical error, it was mentioned that the Government of the State of Andhra Pradesh after obtaining the concurrence of the High Court of Andhra Pradesh had made a request for abolition of the Andhra Pradesh Administrative Tribunal. Necessary amendment is required to be made retrospectively from the date of notification to correct the said typographical error. It is certified that none will be adversely affected by the retrospective effect being given to the amendment notification.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 30 (E) dated the 14th January, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.02.27 15:50:39 +05'30'